UPHR010048242026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थितः रीता कौशिक, एच०जे०एस०

(J.O. Code U.P. 5728)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2330/2026

अरविन्द कुमार पुत्र स्व० लाल बहादुर, निवासी मो० नई बस्ती, कस्बा व थाना शाहाबाद, जनपद हरदोई। ----------आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ---------- विपक्षी।

दिनांकः 20.07.2026

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त अरविन्द कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 136/2026, अन्तर्गत धारा 61(2), 123, 317(2), 318(4), 319(2) बी०एन०एस०, थाना पचदेवरा, जनपद हरदोई के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में अजीत द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत कर जमानत प्रार्थनापत्र में किये गये कथनों को सही व सत्य बताया है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा माया देवी की ओर से थाना स्थानीय पर इस आशय की रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 26.06.2026 को समय करीब 03:00 बजे दिन में वादिनी मुकदमा के दरवाजे पर दो पण्डित चंदन वंदन लगाकर आये, कहा भण्डारा करने को कुछ दान कर दो। उसने 100/– रूपये की पर्ची कटवायी तभी उन्होंने उसके सिर के ऊपर धागा घुमाया। वह बेहोश हो गयी। उक्त पण्डितों ने उसके कानों के कुण्डल निकाल लिए और मोटरसाइकिल से भाग गये, जिनका हुलिया रंग श्यामला व लंबाई लगभग 5 फुट 3 इंच व दूसरे का हुलिया रंग गोरा लंबाई 5 फुट 5 इंच, जो दाढ़ी भी रखे था। वादिनी मुकदमा व उसका लड़का मोहित उन दोनों के सामने आ जाने पर पहचान लेंगे। जब वह होश में आयी तब अपने लड़के को फोन खेत पर किया। घटना की बात बतायी। तब उसका लड़का आया, पर्ची में पड़े मोबाइल नंबर से बात किया, लेकिन पण्डित चले गये।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसके द्वारा कोई

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.07.20 17:15:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अपराध कारित नहीं किया गया है। वह उपरोक्त मुकदमें में नामजद अभियुक्त नहीं है। उसके पास से कोई कुण्डल बरामद नहीं हुए है। घटना के समय तथा बरामदगी के समय कोई भी प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं दर्शाया गया है। अभियोगी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी व्यक्ति के द्वारा जहर खिलाये जाने का कोई कथन नहीं किया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, न विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

7. जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के समय अभियोजन पक्ष की तरफ से केस डायरी के प्रासंगिक पर्चे सहित अन्य अभियोजन प्रपत्रों को प्रस्तुत किया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि आवेदक/अभियुक्त प्रकरण में नामजद नहीं है। अभियोजन कथानक के अनुसार, आवेदक/अभियुक्त व सह अभियुक्तगण करन एवं पवन द्वारा योजनाबद्ध तरीके से छलकपट करते हुए वादिनी मुकदमा के सिर पर धागा घुमाकर उसे बेहोश कर दिया और उसके कान के कुंडल चोरी कर लिये। जब पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तो उसके कब्जे से इस प्रकरण से संबंधित दो अदद कुण्डल बरामद किये गये, किन्तु कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी होना नहीं कहा गया है। आवेदक/अभियुक्त इस प्रकरण में दिनांक 01.07.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **अरविन्द कुमार** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुबलिग **50,000/– (पचास हजार)** रूपए का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानतें सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है–

1. आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।
2. आवेदक/अभियुक्त आरोप तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० जैसी सारवान तिथियों पर विचारण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।
3. आवेदक/अभियुक्त किसी साक्षी को प्रलोभित व प्रकोपित नहीं करेगा।

4. आवेदक/अभियुक्त जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेगा तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय को देगा।
5. आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं होगा तथा न्यायालय की अनुमति के बगैर देश छोड़कर विदेश नहीं जाएगा।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

(रीता कौशिक)

दिनांकः 20.07.2026

सत्र न्यायाधीश,

हरदोई।